- स्वतंत्रता और समता में समन्वयकारी दृष्टिकोण

कभी-कभी कहा जाता है कि स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के बीच परस्पर विरोध है; पर क्या ऐसा वास्तव में है?

स्वतन्त्रता और समता इन दोनों मूल्यों को लोकतान्त्रिक चिन्तनधारा में भी महत्व दिया जाता है। जब लोकतन्त्रवादी स्वतन्त्रता की बात करते हैं, तब वे किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता की बात करते हैं। उधर लोकतन्त्रवादी चाहे सामाजिक-आर्थिक समता को पर्याप्त महत्व न देता हो लेकिन वे राजनीतिक और कानूनी समता का समर्थन तो करते ही हैं। लोकतान्त्रिक समाजवादियों और सामाजिक लोकतन्त्रवादियों द्वारा स्वतन्त्रता और समता के मूल्यों के समन्वय का प्रयत्न किया जाता है और इन मूल्यों को समाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी लागू करने का प्रयत्न किया जाता है।

समता के कई पक्ष हैं जैसे सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक। सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी समता का स्वतन्त्रता के मूल्य से कोई विरोध नहीं दिखता है। अगर समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक बराबर प्रतिष्ठा और एक जैसे राजनीतिक एवं कानूनी अधिकार मिले तो इससे किसी की स्वतन्त्रता में कोई बाधा नहीं पहुँचती है। ज्यादा-से-ज्यादा यही कहा जा सकता है कि इससे अपने को श्रेष्ठ मानने और दूसरों को हीन जैसा व्यवहार करने से 'स्वतन्त्रता' नहीं रह जाती है। इस आपत्ति के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि इस 'स्वतन्त्रता' को समता के मूल्य के पक्ष में सीमित कर दिया जाना चाहिए। स्वतन्त्रता के मूल्य के आधार पर किसी को दूसरे की हत्या करने का बलात्कार करने की, या मारने-पीटने की आजादी नहीं दी जाती है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और स्वतन्त्रता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की स्वतन्त्रता को कुछ हद तक सीमित किया जाता है। इसी तरह, प्रत्येक की समता के मूल्य के आधार पर अपने श्रेष्ठ और दूसरे को हीन मानकर व्यवहार करने की स्वतन्त्रता को भी कानून द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, भारतीय संविधान में छुआछूत को निषिद्ध घोषित किया गया है, जो उचित है।

कुछ लोग, स्वतन्त्रता और समता के मूल्यों के विरोध की बात आर्थिक समता के सन्दर्भ में की जाती है। उदाहरणस्वरूप, अगर कोई सरकार गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक गरीबी मिटाने के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को कुछ हद तक नियन्त्रित करती है, तो यह कहा जा सकता है कि इससे व्यक्ति की सम्पत्ति रखने की स्वतन्त्रता सीमित होती है।

स्वतन्त्रता और समता के कई पक्ष हैं। अगर व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने की स्वतन्त्रता को कुछ हद तक सीमित किया जाता है, इससे व्यक्ति के विचारों, अभिव्यक्ति, उपासना, और अन्य स्वतन्त्रताओं से कोई अनिवार्य विरोध

नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था में यह विरोध दिखता है, क्योंकि इसके अन्तर्गत आर्थिक समता के उद्देश्य को 'सर्वहारा की तानाशाही' के द्वारा हासिल करने का प्रयत्न किया जाता है। संक्षेप में, अगर स्वतन्त्रता और समता के मूल्यों में विरोध की बात की जाती है, तो इसका अगर कोई मतलब है, तो सिर्फ सम्पत्ति रखने की स्वतन्त्रता और आर्थिक समता के संदर्भ में। लेकिन, यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि जो लोग आर्थिक समता के विरुद्ध हैं उनके द्वारा इस विरोध को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है।

अतः समन्वयवादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत हम कह सकते हैं कि समाज तथा राज्य में एकता और अखण्डता बनाए रखने के लिए स्वतन्त्रता और समानता को साथ-साथ चलना होगा।

न्याय की अवधारणा का अर्थ एवं परिभाषा—

~~D. D. Rao~~ न्याय को अंग्रेजी में "Justice" कहते हैं जो लैटिन शब्द "Justice" से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है "जुड़ना" (Joining or fitting, the idea of bond or tie). शुरू में जुड़ने का तात्पर्य था मनुष्य का मनुष्य के साथ आपसी संबंध वह संबंध जो एक सभ्य समाज के लोगों के बीच होता है। C. M. Marrian के अनुसार, "Justice consists in a system of understanding and procedure through which each is accorded what is agreed upon as fair." बेन और पीटर्स के अनुसार, "न्याय का अर्थ है सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना जबतक उनमें स्पष्ट अंतर न हो। बार्कर के अनुसार, "Justice is the reconciler and the synthesiser of political values, it is theis in an adjusted and integrated whole."

न्याय के लक्षण :– ① न्याय की धारणा का अर्थ है इस बात का परीक्षण कि सभी मनुष्य के साथ किए गए व्यवहार।

② न्याय का अर्थ है समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच धर्म, वंश, जाति, लिंग, इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

③ न्याय का यह भी अर्थ है कि कुछ कारणों के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, भारतीय संविधान के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो किसी भी प्रकार न्याय का उल्लंघन नहीं करता है।

④ न्याय व्यक्तिगत सम्मान पर विशेष महत्व देता है तथा उन सभी कार्यों को सीमित करता है जो समाज के अधिकतर लोगों के हित में न हो।

न्याय की धारणा का विकास

न्याय की प्राचीन धारणा जो प्राचीन जातियों में पाई जाती थी वह "जैसे को तैसा" (Tit-for-tat) के सिद्धान्त पर आधारित है। सोफिस्ट सम्प्रदाय न्याय को "शक्तिशाली का हित" के रूप में परिभाषित करता है। न्याय के आदर्शवादी सिद्धान्त के अनुसार जिसके प्रवर्तक प्लेटो थे- "न्याय एक सद्‌गुण है।" अरस्तू के अनुसार, न्याय का अर्थ है - मनुष्यों और वस्तुओं के बीच मात्रा की समानता। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात आधुनिक उदारवादी समाज ने स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा को तीन प्रमुख मूल्य माना ताकि मनुष्य के बीच न्यायपूर्ण संबंध रहे। ह्यूम तथा बेन्थम ने अधिकतर लोगों के अधिकतर सुख की बात कही मार्क्स तथा एंजलस ने न्याय की व्याख्या देते हुए कहा था कि न्याय तभी सम्भव हो सकता है जब पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए। और समाजवाद की स्थापना किया जाए। लास्की तथा मैकाइवर ने न्याय से व्यक्ति तथा सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्धों का समन्वय माना है।

न्याय के प्रकार

① कानूनी न्याय (Legal Justice) कानून में न्याय शब्द का प्रयोग सभी नियमों तथा प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। न्यायपूर्ण कानून के निर्माण का अर्थ है कि कानून सामाजिक मान्यताओं तथा नैतिक दृष्टि के अनुरूप हो। उदाहरणस्वरूप जब भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म किया तो यह न्याय का कानूनी पक्ष था इस प्रकार, कानूनी न्याय का अर्थ है "कानून के सम्मुख समानता"

② राजनीतिक न्याय (Political Justice) - इसका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को सरकारी अथवा देश के शासन व्यवस्था में हाथ बँटाने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार राजनीतिक न्याय का आधार है।

③ सामाजिक न्याय (Social Justice) - सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य मानव का शोषण समाप्त करना है। न्याय के सामाजिक पक्ष का संबंध सरकार, राज्य, धर्म, विभिन्न संस्थाएँ साम्प्रदायिक समुदायों, जाति-वर्ग से है।

④ आर्थिक न्याय (Economic Justice) न्याय का आर्थिक पक्ष मुख्य रूप से समाजवादी आंदोलन का परिणाम है। उदारवादी विचारधारा में आर्थिक न्याय की प्राप्ति तब हो सकती है जब राज्य व्यक्ति के आर्थिक मांगों की पूर्ति कर सके, आय की विषमता को दूर करे तथा सबों को बराबर का अवसर दे। मार्क्सवादी विचार के अनुसार आर्थिक न्याय केवल एक वर्गविहीन साम्यवादी समाज में पाई जा सकती है, जहाँ सभी को अपनी क्षमता तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार अर्थ की प्राप्ति हो।